



कार्यालय कलेक्टर, जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

--: अधिसूचना ::--

क्रमांक / 622 / भू-अर्जन / 2024

कोरबा, दिनांक 16.01.2024

क्रमांक 202107050500004 / अ-82 / 2020-21, चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की, ए.डी.बी.परियोजना लोन-3 के अंतर्गत पैकेज-23, पाली- सिल्ली मार्ग लम्बाई 21.481 कि.मी. के उन्नयन एवं पुननिर्माण कार्य हेतु, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

01. जिला : कोरबा
02. तहसील : पाली
03. ग्राम : पोलमी
04. भूमि का क्षेत्रफल : 0.4102 हे.

खसरा	रकबा (हे.में)
98	0.0670
99	0.0430
123/3	0.1520
38/1 ड.	0.0250
122/2	0.0160
37/14	0.0010
18/12	0.0130
15/1	0.0110
8/1/क/29, 369/1/क/15	0.0020
8/1/क/21, 369/1/थ	0.0110
369/1/न/3	0.0020
366/1, 369/1/म/1	0.0040
369/1/म/8	0.0040
369/1/म/7	0.0040
15/3	0.0130
369/1/ख/3	0.0089
369/1/क/39	0.0160
369/1/ढ.	0.0120
369/1/क/21	0.0053
19 खसरे	0.4102

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजीम बसंत)

कलेक्टर

एवं पदेन उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी पाली
जिला- कोरबा (छ.ग.)